न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 178/2019/भीलवाड़ा (2019/00178)

सुखालाल गुर्जर पुत्र नाथूराम गुर्जर निवासी मु. पो0 गोवरधनपुरा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश कमांक न्याय/2019/22049 दिंनाक 09–01–2019

————

उपस्थितः 1– श्री हसन खांन अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 18–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी गोवरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा का निवासी है। अपीलार्थी ने अपनी आत्म सुरक्षार्थ एक रिवाल्वर/पिस्टल हेतु नवीन अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार करेड़ा, उप वन संरक्षक भीलवाड़ा, द्वारा अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित होने के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त समस्त रिपोर्ट के उपरान्त अति0 पुलिस अधीक्षक सीआई.डी. अजमेर द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार का खतरा नहीं होने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना करेड़ा में मुकदमा संख्या 42/18 अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 354 भा.दस. व 3(1) एससीएसी एक्ट में प्रकरण दर्ज होना तथा जैर तफ्तीश होना वर्णित करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की जाती है, के आधार पर जिला

मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने नवीन आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 9–01–2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय आदेश पारित किया है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत फौजदारी प्रकरण में स्वयं आवेदनकर्ता द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत वर्णन करने के उपरान्त उसके विरूद्ध एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के कार्यालय में उक्त आवेदन बाबत जानकारी चाहने पर उक्त आवेदन पत्र दिनांक 9–1–2019 को निरस्त होना अवगत कराया। तत्पश्चात उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर बिना किसी विलम्ब के जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी द्वारा आत्म सुरक्षार्थ उक्त हथियार का नवीन आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। भविष्य में उक्त हथियार का किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 7–11–2016 में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं होने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध किसी मामले में दोष सिद्धि नहीं होने तथा न ही शांति भंग करने की कार्यवाही होना वर्णित करते हुए अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित माना है।

उनका यह भी कथन है कि अति0 पुलिस अधीक्षक, सीआईडी जोन अजमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 07–6–2018 में अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना करेड़ा मे मुकदमा संख्या 42/18 धारा 143, 341, 323, 354 भा.द.स. व 3(1) एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज होना तथा जैर तफ्तीश होना वर्णित किया है। उक्त आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 9–1–2019 में दिनांक 10–7–2018 को सूचना पत्र द्वारा जांच के दौरान अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना तथा अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज होने एवं जैर तफ्तीश होने से अनुज्ञा पत्र जारी नहीं होने का तथ्य वर्णित किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी रूप से प्रकरण दर्ज करवाया जाकर जिस बाबत स्वयं आवेदनकर्ता द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने बाबत रिपोर्ट दी गई है एवं उक्तानुसार न्यायालय के समक्ष एफ.आर. प्रस्तुत की गई है एक मात्र उक्त आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र को निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(1)के आदेशात्मक विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 3–5–2016, उप वन संरक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 19–5–2016 एवं जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 7–11–2016 में अपीलार्थी का आचरण एवं व्यवहार को ठीक होना बताया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं होने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं होने के आधार पर अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित है बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश की परिभाषा में आता है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश में किसी भी समुचित विधिक कारणों का उललेख नहीं किया है जिससे अपीलार्थी का नवीन आर्म्स अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया जाना उचित माना जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक लाईन में

अपीलार्थी को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना जानकारी में नहीं आया है बाबत आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2019 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीन आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आत्म रक्षा हेतु रिवाल्वर के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया था, जांच के दौरान अपीलार्थी को किसी प्रकार का खतरा आदि होना जानकारी में नही आया है। अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन अजमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना करेड़ा में मुकदमा नम्बर 42/18 धारा 143, 341, 323, 354 भा.द.स. व 3(1) एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज होना तथा जैर तफ्तीश है, के आधार पर नवीन आर्म्स अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र निरस्त किया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 9–01–2019 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा एवं उप वन संरक्षक अजमेर की रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी का नवीन अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा, तहसीलदार, करेड़ा उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (विशेष शाखा) जोन अजमेर से रिपोर्ट चाही गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन अजमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3373 दिनांक 07–6–2018 में उल्लेखित किया है कि आवेदक द्वारा आत्म रक्षा हेतु रिवाल्वर के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है, जांच के दौरान आवेदक को किसी प्रकार का खतरा आदि नहीं होना जानकारी में नहीं आया है। आवेदक के विरूद्ध पलिस थाना करेड़ा में मुकदमा नम्बर 42/18 धारा 143, 341, 323, 354 भा.द.स. व 3(1) एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज होना तथा जैर तफ्तीश होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा की है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से जान व माल का खतरा हो।

ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का नवीन आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/22049 दिनांक 09–01–2019 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर